BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 183/2023

IN THE MATTER OF:

Petitioner Mahendra Pratap Singh Chauhan

Versus

Respondents State of Madhya Pradesh & Ors.

I N D E X

S. No.	Particulars	Annexure	Page No.
1.	Action Taken Report in Behalf of Chief Conservator of Forest in Compliance of Order Dated 23.02.2024		03-08
2.	Affidavit		09
3.	Charges framed and photographs of the accused	R-1 (Colly.)	10-19
4.	Copies of letter no./ref./2024/2498 dated 05.04.2024 and letter no./ref./2493 dated 05.04.2024	R-2 (Colly.)	20-28

5.	copies of Letter No. SDM/2024/1897 dated 15.03.2024 and letter no. SDM/2024/1889 dated 15.03.2024	**R-3 (Colly.)**	29-30
6.	Copies of 05.04.2024 and 21.03.2024 along with Panchanama and geo-tagged photographs	**R-4 (Colly.)**	31-56

Date: 18.04.2024
Place: Bhopal

Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 183/2023

IN THE MATTER OF:

Petitioner Mahendra Pratap Singh Chauhan

Versus

Respondents State of Madhya Pradesh & Ors.

ACTION TAKEN REPORT IN BEHALF OF CHIEF CONSERVATOR OF FOREST IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 23.02.2024

IT IS MOST RESPECTFULLY SUBMITTED HEREINUNDER :

1. That the issue raised in the present Original Application by the applicant is alleged encroachment of the forest land and cutting of the green trees in Tehsil - Karahal, District – Sheopur, M.P. without any authority from the Forest Department, causing loss to the property of the State and affecting the environment.

2. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 23.02.2024 directed the Chief Conservator of Forest to present an Action Taken Report on affidavit of the authorised

representative. That for the convenience of this Hon'ble Tribunal the relevant extract from the aforementioned order is reproduced hereinbelow :

> *"3. Accordingly, we direct the registry that the copy of the Joint Committee report be forwarded to the Chief Conservator of forest to take action on the following points :*
>
> > *i. Cutting of thousand of trees in the forest area without any permission and realising meagre amount as fine (a trend of cutting of trees) is illegal and in violation of environmental rules. A proper procedure and action must be initiated against the persons responsible.*
> > *ii. The process of identification and demarcation and protection of forest land under Section 5 (20) of Indian Forest Act must be finalised as soon as it is possible and necessary directions should be issued to the concerned authorities.*
>
> *4. Action taken by the Chief Conservator of Forest be communicated through affidavit by any responsible officials within three weeks."*

3. That in compliance of the aforementioned directions enumerated in Para 3 (i) of Order dated 23.02.2024, the Joint Committee Report dated 22.02.2024 filed before this Hon'ble Tribunal enumerates a concise overview of the internal enquiry and action taken by the Forest

Department, Sheopur. A brief summary of the action taken against the offenders by Forest Department, Sheopur are as follows :-

a. That the impugned area in the present petition falls within the jurisdiction of Karahal Tehsil, incorporating both the forest and revenue departments' authority. It is submitted that the total forest area under the authority of Forest Department, Sheopur is 2.65 lakh hectares, of which more than 1.25 lakh hectares fall within the Karahal Tehsil, wherein there are approximately 100 villages. That this forest area consists of mixed forests containing species like Kardhai, Salai Khair, Dhawda, Palash, and other varieties of trees. Furthermore, cutting of timber trees is not permitted, and surrounding rural and forest villages rely primarily on dry fallen timber for their needs.

b. That in an attempt to curb encroachment in this forest area, cleanliness drives are conducted to remove encroachments, leading to appropriate legal proceedings against the offenders / encroachers. It is pertinent to note here that in the year 2023, Forest

Crime PO No. 393/9 dated 05.08.2023 and 393/8 dated 03.08.2023 were registered, a total of 12 offenders were apprehended and cases were filed before the Hon'ble Court, wherein the Hon'ble Court on examining the evidences placed on record found the 12 accused guilty. Thereafter in January 2024, in Forest Crime Case No. 303/13 dated 07.01.2023, a total of 06 accused were apprehended from the forest area. That a copy of Charges framed and photographs of the accused in the aforementioned Forest Crime Cases are marked and annexed herewith as **Annexure R-1 (Colly.)**

4. That the forest ranges of Sheopur, Budhera, Karahal, and Baroda fall within the jurisdiction of the Forest Department Sheopur, Karahal Tehsil. That a total of 347 forest crime cases were registered in the year 2023, resulting in the imposition of fines totaling INR 14,97,907/- against the offenders.

5. It is further pertinent to note here that a penalty memo has been issued against Mr. Sugreev Singh, Assistant Forest Ranger, for his negligence of duties, vide letter

no./ref./2024/2498 dated 05.04.2024. Additionally, a charge sheet has been issued against Mr. Ravi Kaushal, Forest Guard, stationed at Beat gaurd Reechi Dakshin, vide letter no./ref./2493 dated 05.04.2024, initiating preliminary action against him. The copies of letter no./ref./2024/2498 dated 05.04.2024 and letter no./ref./2493 dated 05.04.2024 is marked and annexed herewith as **Annexure R-2 (Colly.).**

6. It is further stated that DFO, vide Letter No.DM/2024/1897 dated 15.03.2024 to District Collector and letter no. DM/2024/1889 dated 15.03.2024 to Sub-Divisional Officer Revenue Karahal to expedite the enquiry under the provisions of Section 5 to Section 20 of the Indian Forest Act, 1927. The copies of Letter No.DM/2024/1897 dated 15.03.2024 and letter No.DM/2024/1889 dated 15.03.2024 are marked and annexed herewith as **Annexure R-3 (Colly.).**

7. It is further submitted before this Hon'ble Tribunal that the Forest Department, Sheopur has removed multiple encroachments within the Forest to a total tune of approximately 60.630 hectares. That for the convenience

for this Hon'ble Tribunal the copies of 05.04.2024 and 21.03.2024 along with Panchanama and geo-tagged photographs are marked and annexed herewith as **Annexure R-4 (Colly.)**

8. An affidavit in support is filed herewith.

Date: 18.04.2024
Place: Bhopal

Through Counsel
Prashant M. Harne
Standing Counsel
State of Madhya Pradesh

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, CENTRAL ZONE, BHOPAL

Original Application No. 183/2023

IN THE MATTER OF:

Petitioner Mahendra Pratap Singh Chauhan

Versus

Respondents State of Madhya Pradesh & Ors.

AFFIDAVIT

I, C.S. Chouhan, S/o Late Shri K.S. Chouhan, Divisional Forest Officer, Sheopur, office at - Shivpuri Road Eco centre Sheopur, 476337, Madhya Pradesh, do hereby solemnly affirm on oath as under :

1. That I am Officer in Charge for Chief Conservator of Forest in the present matter, and am fully conversant with the facts of the case and hence competent to swear on this affidavit.
2. That I am filing an Action Taken Report in the aforementioned matter before the Hon'ble Tribunal the contents of which are true and correct and no material fact has been concealed.
3. That the contents of the Action Taken Report are true and correct and no material fact is concealed or supressed.

C.S. Chouhan
K.S. Chouhan
Sheopur (M.P.)
Prashant M. Harne

DEPONENT

VERIFICATION

I the above-named deponent do hereby verify that the contents of the affidavit above are true and correct.

Adv.

Signed and verified on this ___Day of 18/4/ 2024 at Bhopal (MP)

DEPONENT

18/4/24

IDENTIFIED BY ME

Prashant M. Harne
Adv.

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (मध्यप्रदेश)

क्रमांक / स्था0 / 2493 श्योपुर, दिनांक 5/4/2021

प्रति,

श्री रवि कौशल

वनरक्षक बीटगार्ड रीछी उत्तर

द्वारा :– वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि आपके विरूद्ध म0प्र0 सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जाना प्रस्तावित है । अपचार एंव कदाचार की विषयवस्तु जिस पर कार्यवाही की जाना है उसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में किया गया है । जिन कथनो पर आरोप आधारित है उनके लांछनो का विवरण आरोप–पत्र के संलग्न अभिकथन विवरण में किया गया है । अभियोजन पक्ष के साक्ष्यो की सूची जिनके द्वारा आरोपो को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है परिज्ञान हेतु संलग्न है।

2. **श्री रवि कौशल वनरक्षक** को उपरोक्त लिखित नियम 14 (4) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है, कि वे अपना लिखित बचाव कथन (प्रतिवाद) सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत करें और यह भी बतावें, कि क्या वह अपनी व्यक्तिगत सुनवाई की जाने की वांछा रखते है पुनः सूचित किया जाता है, कि यदि उनके द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिवाद का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया तो कथित नियम की धारा 14 (5) ख पठित नियम 14 (2) में जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी जावेगी एंव नियम 14 (20) के अनुसार आज्ञा का अनुपालन न करने पर एक पक्षीय जांच प्रारम्भ कर दी जावेगी तत्पाश्चत उनका कोई कथन मान्य नहीं होगा वे उससे भलीभांति सूचित हो एंव जबाव प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त करें ।

3. **श्री रवि कौशल वनरक्षक** को पुनः सूचित किया जाता है, कि वे अपने प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिये जो भी शासकीय अभिलेख देखना अथवा प्राप्त करना चाहते है उसकी सूची सूचना–पत्र प्राप्त करते ही तुरन्त सीधे वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि शासन हितो को सुरक्षित करते हुए उनके द्वारा चाहे गये अभिलेखो को दिखाने अथवा प्रदाय करने की समुचित व्यवस्था की जा सके ।

4. **श्री रवि कौशल वनरक्षक** को पुनः सूचित किया जाता है, कि वे इस प्रज्ञापन, आरोप–पत्र एंव अभिकथन विवरण, गवाहो की की सूची, दस्तावेजो की सूची जिन पर आरोप आधारित है, की लेखीय, प्राप्तिका दिनांकयुक्त पूर्ण हस्ताक्षर सहित संलग्न दूसरी प्रति के प्रत्येक प्रलेख पर देवें ।

संलग्न :– **1. प्रज्ञापन,** **2. आरोप–पत्र**
3. अभिकथन विवरण, **4. गवाहो की सूची**
5. दस्तावेजो की सूची

(सी0एस0 चौहान)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, श्योपुर (म0प्र0)

क्रमांक / स्था0 / 2994 श्योपुर, दिनांक 5/4/2021

प्रतिलिपि :–

वनपरिक्षेत्राधिकारी **बड़ौदा** की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। **श्री रवि कौशल वनरक्षक** के नाम संबोधित प्रज्ञापन, आरोप–पत्र, अभिकथन विवरण, साक्ष्यसूची, दस्तावेजो की सूची की एक प्रति वितरण कर अतिरिक्त प्रति पर दिनांकयुक्त पावती लेकर अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें। उक्त प्रज्ञापन सात दिवस के भीतर वितरण कर अनिवार्य रूप से प्राप्तिका इस कार्यालय को भेजें ।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, श्योपुर (म0प्र0)

E:\All office Data\HP\Establisment\CS Form.doc o/c

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – एक

आरोप पत्र विरूद्व श्री रवि कौशल वनरक्षक
बीट रीछी दक्षिण, वनपरिक्षेत्र बड़ौदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

श्री रवि कौशल वनरक्षक वनपरिक्षेत्र बड़ौदा की बीट रीछी उत्तर अतिरिक्त प्रभार रीछी दक्षिण पर दिनांक 26.05.2022 से आज दिनांक तक पदस्थ है।

आरोप कमांक–01

श्री रवि कौशल वनरक्षक द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन कमांक 23246178 दिनांक 17.07.2023 जो कि बीट रीछी दक्षिण में अवैध कटाई के संबंध में थी संज्ञान न लेकर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा के निर्देश उपरांत परिक्षेत्र सहायक आवदा के हमराह रहकर दिनांक 23.07.2023 को प्रकरण कायम किया गया, जो कि आपकी अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। आपका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–02

वनअपराध प्रकरण कमांक 221/20 दिनांक 06.01.2024 एवं 221/21 दिनांक 07.01.2024 बीट रीछी दक्षिण कक्ष कमांक पी 81 में कमशः 52 एवं 27 नग ठूँठ कटे हुए पाये गये, जिस पर आपके द्वारा स्वतः कार्यवाही नहीं की गई एवं परिक्षेत्र सहायक के हमराह रहकर प्रकरण कायम किया गया, जो कि आपके पदीय कर्तव्यो के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–03

दिनांक 04.02.2024 को वनरक्षक श्री रवि कौशल बिना सूचना के अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित थे। जिस पर परिक्षेत्र सहायक आवदा द्वारा संज्ञान लेकर बीट रीछी दक्षिण कक्ष कमांक पी 81 में निरीक्षण के दौरान 15 नग अवैध ठूँठ पाये गये जिस पर परिक्षेत्र सहायक आवदा द्वारा वनअपराध प्रकरण कायम कर अपराधियो का पता लगाया। यह उनकी लापरवाही और अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

Scanned with OKEN Scanner

आरोप कमांक–04

यह कि दिनांक 16.03.2024 को बीट रीछी दक्षिण के कक्ष कमांक पी 80 के निरीक्षण के दौरान 0.27 हैक्टेयर क्षेत्र जुताई किया हुआ पाया गया एवं 21 नग वृक्ष उखड़े एवं कटे हुए पाये गये बीट प्रभारी श्री रवि कौशल मौके पर बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये जिस पर परिक्षेत्र सहायक के द्वारा वनअपराध प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई जो कि आपकी घोर अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–05

दिनांक 19.03.2024 को श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय के कक्ष कमांक पी 81 वृक्षारोपण वर्ष 2021 रकवा 40 हैक्टेयर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अग्नि घटना घटित होने के साक्ष्य पाये गये, पौधा रोपण में अग्नि घटना होना आपकी लापरवाही का धोतक है। आपका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाता है।

आरोप कमांक–06

बीटगार्ड श्री रवि कौशल की ड्यूटी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश कमांक/निर्वा./लो.स./स्था./2024/773 दिनांक 17.03.2024 से एस.एस.टी. निगरानी टीम में आवंटित नाका सूसवाड़ा में लगाई गई थी आप दिनांक 29.03.2024 लगातार अपने कर्तव्य पर बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे जो कि आपकी अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

प्रस्तावित

(भुवनेश कुमार योगी)
वनपरिक्षेत्राधिकारी,
वनपरिक्षेत्र बड़ौदा

अनुमोदित

(सी0एस0 चौहान)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – दो

आरोप पत्र का आधार

आरोप पत्र विरूद्व श्री रवि कौशल वनरक्षक
बीट रीछी दक्षिण, वनपरिक्षेत्र बड़ौदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

श्री रवि कौशल वनरक्षक वनपरिक्षेत्र बड़ौदा की बीट रीछी उत्तर अतिरिक्त प्रभार रीछी दक्षिण पर दिनांक 26.05.2022 से आज दिनांक तक पदस्थ है।

आरोप कमांक–01 के लिये आधार :–

श्री रवि कौशल वनरक्षक द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन कमांक 23246178 दिनांक 17.07.2023 जो कि बीट रीछी दक्षिण में अवैध कटाई के संबंध में थी, संज्ञान न लेकर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा के निर्देश उपरांत परिक्षेत्र सहायक आवदा के हमराह रहकर दिनांक 23.07.2023 को प्रकरण कायम किया गया। प्रकरण में अवैध कटाई होना पाया गया, जिसमें 06 नग ठूँठ अवैध रूप से कटे हुए पाये गये, आपके द्वारा जिसको न तो स्वतः संज्ञान में लिया गया और ना ही इसकी सूचना अपने वरिष्ठो को दी। जो कि आपकी अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। आपका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–02 के लिये आधार :–

वनअपराध प्रकरण कमांक 221/20 दिनांक 06.01.2024 एवं 221/21 दिनांक 07.01.2024 बीट रीछी दक्षिण कक्ष कमांक पी 81 में कमशः 52 एवं 27 नग ठूँठ कटे हुए पाये गये, जिस पर आपके द्वारा स्वतः कार्यवाही नहीं की गई एवं परिक्षेत्र सहायक के हमराह रहकर प्रकरण कायम किया गया। इतनी अधिक संख्या में अवैध रूप से कटाई होना एवं जिसकी सूचना आपके द्वारा अपने वरिष्ठ को न देना आपकी लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जो कि आपके पदीय कर्तव्यो के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–03 के लिये आधार :–

दिनांक 04.02.2024 को वनरक्षक श्री रवि कौशल बिना सूचना के अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित थे। जिस पर परिक्षेत्र सहायक आवदा द्वारा संज्ञान लेकर बीट रीछी दक्षिण कक्ष कमांक पी 81 में निरीक्षण के दौरान 15 नग अवैध ठूँठ पाये गये जिस पर परिक्षेत्र सहायक आवदा द्वारा वनअपराध प्रकरण कायम कर अपराधियो का पता लगाया। अपने कर्तव्य पर बिना सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहना एवं अवैध कटाई की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियो

Scanned with OKEN Scanner

को न देना साथ ही अवैध कटाई पर नियंत्रण न करना, आपकी अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–04 के लिये आधार :–

यह कि दिनांक 16.03.2024 को बीट रीछी दक्षिण के कक्ष कमांक पी 80 के निरीक्षण के दौरान 0.27 हैक्टेयर क्षेत्र जुताई किया हुआ पाया गया एवं 21 नग वृक्ष उखड़े एवं कटे हुए पाये गये बीट प्रभारी श्री रवि कौशल मौके पर बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये जिस पर परिक्षेत्र सहायक के द्वारा वनअपराध प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई। बिना सूचना एवं अनुमति के अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहना अवैध अतिक्रमण एवं कटाई की सूचना अपने वरिष्ठ को न देना एवं स्वतः संज्ञान लेकर कोई कार्यवाही न करना आपकी घोर अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–05 के लिये आधार :–

दिनांक 19.03.2024 को श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय के कक्ष कमांक पी 81 वृक्षारोपण वर्ष 2021 रकवा 40 हैक्टेयर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अग्नि घटना घटित होने के साक्ष्य पाये गये। पौधारोपण की सुरक्षा अत्यंत गंभीर विषय है। जिससे शासन को क्षति होती है। पौधारोपण में इस तरह की घटना वन सुरक्षा की प्रति आपकी लापरवाही का धोतक है। आपका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाता है।

आरोप कमांक–06 के लिये आधार :–

बीटगार्ड श्री रवि कौशल की ड्यूटी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश कमांक/निर्वा./लो.स./स्था./2024/773 दिनांक 17.03.2024 से एस.एस.टी. निगरानी टीम में आवंटित नाका सूसवाड़ा में लगाई गई थी आप दिनांक 29.03.2024 से लगातार अपने कर्तव्य पर बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे। निर्वाचन जैसे गंभीर कार्यो में इस तरह की लापरवाही आपकी घोर अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करती है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

प्रस्तावित	अनुमोदित
(भुवनेश कुमार योगी)	(सी0एस0 चौहान)
	भा.व.से.
वनपरिक्षेत्राधिकारी,	वनमण्डलाधिकारी
वनपरिक्षेत्र बड़ौदा	सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–तीन

आरोप पत्र से संबंधित दस्तावेजो का विवरण
आरोप पत्र विरूद्ध श्री रवि कौशल वनरक्षक
बीट रीछी दक्षिण, वनपरिक्षेत्र बड़ौदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

आरोप कमांक 01 के लिये :–

01 सी0एम0 हेल्पलाईन कमांक 23246178 दिनांक 17.07.2023 की छायाप्रति

02 प्रकरण कमांक 221/18 दिनांक 23.07.2023 की छायाप्रति

आरोप कमांक 02 के लिये :–

01 प्रकरण कमांक 221/20 दिनांक 06.01.2024 की छायाप्रति

02 प्रकरण कमांक 221/21 दिनांक 07.01.2024 की छायाप्रति

आरोप कमांक 03 के लिये :–

01 प्रकरण कमांक 53/21 दिनांक 04.02.2024 की छायाप्रति

आरोप कमांक 04 के लिये :–

01 प्रकरण कमांक 53/23 दिनांक 16.03.2024 की छायाप्रति

आरोप कमांक 05 के लिये :–

01 निरंक

आरोप कमांक 06 के लिये :–

01 कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर का आदेश कमांक/निर्वा./लो.स./स्था./2024/773 दिनांक 17.03.2024 की छायाप्रति।

02 वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा का पत्र कमांक/415 दिनांक 01.04.2024 की छायाप्रति।

प्रस्तावित

(भुवनेश कुमार योगी)
वनपरिक्षेत्राधिकारी,
वनपरिक्षेत्र बड़ौदा

अनुमोदित

(सी0एस0 चौहान)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट—चार

अभियोजन साक्ष्यो की सूची
आरोप पत्र विरूद्व श्री रवि कौशल वनरक्षक
बीट रीछी दक्षिण, वनपरिक्षेत्र बड़ौदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

आरोप क्रमांक 01 के लिये :—

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।
03 श्री राजेन्द्र कुमार सुमन बीटगार्ड आवदा उत्तर वन परिक्षेत्र बड़ौदा।
04 श्री मोतीराम सुरक्षा श्रमिक रिछी।
05 श्री कल्ला सुरक्षा श्रमिक रिछी।

आरोप क्रमांक 02 के लिये :—

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।
03 श्री राजेन्द्र कुमार सुमन बीटगार्ड आवदा उत्तर वन परिक्षेत्र बड़ौदा।
04 श्री मोतीराम सुरक्षा श्रमिक रिछी।
05 श्री कल्ला सुरक्षा श्रमिक रिछी।

आरोप क्रमांक 03 के लिये :—

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।
03 श्री अनुज वापजपेयी बीटगार्ड दक्षिण पनार वन परिक्षेत्र बड़ौदा।

आरोप क्रमांक 04 के लिये :—

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।
03 श्री दिनेश आदिवासी सुरक्षा श्रमिक आवादा।

आरोप क्रमांक 05 के लिये :—

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।

आरोप क्रमांक 06 के लिये :—

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।

प्रस्तावित

(भुवनेश कुमार योगी)
वनपरिक्षेत्राधिकारी,
वनपरिक्षेत्र बड़ौदा

अनुमोदित

(सी0एस0 चौहान)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

E:\All office Data\HP\Establisment\Aarop Letter.doc

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

POR क्र0 393/09 दि0 5/8/2023

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र करहल

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म.प्र.)

लघु शास्ति हेतु आरोप–ज्ञापन

(देखे म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 का नियम 16 (1)(क)

कमांक / स्था0 / 2024 / 2498

श्योपुर दिनांक 5/4/2024

श्री सुग्रीव सिंह, कार्यवाहक वनपाल परिक्षेत्र सहायक आवदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लघंन कर अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अधीन कार्यवाही प्रस्तावित है। अवचार या कदाचार के अभिकथन जिन पर उर्पयुक्त कार्यवाही प्रस्तावित है।

श्री सुग्रीव सिंह, कार्यवाहक वनपाल परिक्षेत्र सहायक आवदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर को उक्त प्रस्ताव के विरूद्ध जैसा कि चाहे पक्ष प्रस्तुत करने के लिए एतद् द्वारा अवसर प्रदान किया जाता है।

यदि **श्री सुग्रीव सिंह, कार्यवाहक वनपाल परिक्षेत्र सहायक आवदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर** इस ज्ञाप की प्राप्ति की तिथि से 03 दिवस के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहते है, तो यह माना जायेगा कि उन्हें कुछ नहीं कहना है। उनके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किये जायगें।

इस ज्ञापन की प्राप्ति प्रस्तुत की जावें।

संलग्न :– आरोप ज्ञापन

(सी0एस0 चौहान)
भा0व0से0
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, श्योपुर (म0प्र0)

पृ.क्रमांक / स्था0 / 2024 / 2499

श्योपुर, दिनांक 5/4/2024

प्रतिलिपि :–

01 मुख्य वन संरक्षक ग्वालियर वृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

02 वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। लघु शास्ति आरोप ज्ञापन की एक प्रति श्री सुग्रीव सिंह कार्यवाहक वनपाल को वितरित करते हुए अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती लेकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करे।
संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

03 **श्री सुग्रीव सिंह, कार्यवाहक वनपाल परिक्षेत्र सहायक आवदा द्वारा वनपरिक्षेत्राधिकारी बडौदा** की ओर दी जाकर लेख है कि लघु शास्ति आरोप ज्ञापन की एक प्रति प्राप्त करते हुए अतिरिक्त प्रति पर दिनांकित पावती प्रदाय करना सुनिश्चित करें।

04 **संरक्षण शाखा** प्रभारी वनमण्डल कार्यालय श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

05 **स्थापना / कोर्ट** प्रभारी वनमण्डल कार्यालय श्योपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(सी0एस0 चौहान)
भा0व0से0
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल, श्योपुर (म0प्र0)

E:\All office Data\HP\Establisment\S.C.N. 2.docx

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म.प्र.)

श्री सुग्रीव सिंह, कार्यवाहक वनपाल परिक्षेत्र सहायक आवदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर द्वारा वनसुरक्षा एवं अवैध कटाई में लापरवाही बरतने बावत् :—

आरोप :—

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा दिनांक 17.07.2023 को दर्ज हुई सी.एम. हेल्पलाईन क्रमांक 23246178 जो कि बीट रीछी दक्षिण में हुई अवैध कटाई के संबंध में थी, तत्काल कार्यवाही नहीं की गई। आपके द्वारा दिनांक 23.07.2023 को वन परिक्षेत्राधिकारी बडौदा के आदेश उपरांत मौके पर जाकर प्रकरण की कायमी कराई, जो कि आपकी वनसुरक्षा के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

दिनांक 06.01.2024 एवं 07.01.2024 को बीट रीछी दक्षिण के कक्ष क्रमांक 81 में हुई अवैध कटाई जिसमें वनअपराध प्रकरण कमांक 221/20 दिनांक 06.01.2024 एवं 221/21 दिनांक 07.01.2024 बीट रीछी दक्षिण कक्ष कमांक पी 81 में कमशः 52 एवं 27 नग ठूॅठ कटे हुए पाये गये, जिसके संबंध में आपके द्वारा स्वतः संज्ञान नहीं लिया गया एवं इतनी अधिक संख्या में एक कक्ष क्रमांक पी 81 से अवैध कटाई होना आपकी कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही को प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार आपका अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतना मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–3 का उल्लघंन हैं। आपके द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन कर अपने आपको मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागी बनाया है।

अतः आपका अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के करने के कारण क्यों ना आपके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

प्रस्तावित

(संजीव कुमार)
उपवनमण्डलाधिकारी,
उपवनमण्डल कराहल

अनुमोदित

(सी0एस0 चौहान)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

E:\All office Data\HP\Establisment\S.C.N. 2.docx

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (मध्यप्रदेश)

क्रमांक / स्था0 / 2493 श्योपुर, दिनांक 5/4/2021

प्रति,

श्री रवि कौशल

वनरक्षक बीटगार्ड रीछी उत्तर

द्वारा :– वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है, कि आपके विरूद्ध म0प्र0 सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एंव अपील नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही संस्थित की जाना प्रस्तावित है । अपचार एंव कदाचार की विषयवस्तु जिस पर कार्यवाही की जाना है उसका उल्लेख संलग्न आरोप–पत्र में किया गया है । जिन कथनो पर आरोप आधारित है उनके लांछनो का विवरण आरोप–पत्र के संलग्न अभिकथन विवरण में किया गया है । अभियोजन पक्ष के साक्ष्यो की सूची जिनके द्वारा आरोपो को प्रमाणित किया जाना प्रस्तावित है परिज्ञान हेतु संलग्न है।

2. **श्री रवि कौशल वनरक्षक** को उपरोक्त लिखित नियम 14 (4) के अन्तर्गत सूचित किया जाता है, कि वे अपना लिखित बचाव कथन (प्रतिवाद) सूचना प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर सीधे इस कार्यालय में प्रस्तुत करें और यह भी बतावें, कि क्या वह अपनी व्यक्तिगत सुनवाई की जाने की वांछा रखते है पुनः सूचित किया जाता है, कि यदि उनके द्वारा निर्धारित अवधि में प्रतिवाद का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया गया तो कथित नियम की धारा 14 (5) ख पठित नियम 14 (2) में जांच अधिकारी की नियुक्ति कर दी जावेगी एंव नियम 14 (20) के अनुसार आज्ञा का अनुपालन न करने पर एक पक्षीय जांच प्रारम्भ कर दी जावेगी तत्पाश्चत उनका कोई कथन मान्य नहीं होगा वे उससे भलीभांति सूचित हो एंव जबाव प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्राप्त करें ।

3. **श्री रवि कौशल वनरक्षक** को पुनः सूचित किया जाता है, कि वे अपने प्रतिवाद का लिखित कथन प्रस्तुत करने के लिये जो भी शासकीय अभिलेख देखना अथवा प्राप्त करना चाहते है उसकी सूची सूचना–पत्र प्राप्त करते ही तुरन्त सीधे वनमण्डल कार्यालय में प्रस्तुत करें ताकि शासन हितो को सुरक्षित करते हुए उनके द्वारा चाहे गये अभिलेखो को दिखाने अथवा प्रदाय करने की समुचित व्यवस्था की जा सके ।

4. **श्री रवि कौशल वनरक्षक** को पुनः सूचित किया जाता है, कि वे इस प्रज्ञापन, आरोप–पत्र एंव अभिकथन विवरण, गवाहो की की सूची, दस्तावेजो की सूची जिन पर आरोप आधारित है, की लेखीय, प्राप्तिका दिनांकयुक्त पूर्ण हस्ताक्षर सहित संलग्न दूसरी प्रति के प्रत्येक प्रलेख पर देवें ।

संलग्न :– **1. प्रज्ञापन,** **2. आरोप–पत्र**
3. अभिकथन विवरण, **4. गवाहो की सूची**
5. दस्तावेजो की सूची

(सी0एस0 चौहान)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, श्योपुर (म0प्र0)

क्रमांक / स्था0 / 2994 श्योपुर, दिनांक 5/4/2021

प्रतिलिपि :–

वनपरिक्षेत्राधिकारी **बड़ौदा** की ओर सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। **श्री रवि कौशल वनरक्षक** के नाम संबोधित प्रज्ञापन, आरोप–पत्र, अभिकथन विवरण, साक्ष्यसूची, दस्तावेजो की सूची की एक प्रति वितरण कर अतिरिक्त प्रति पर दिनांकयुक्त पावती लेकर अग्रिम कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु इस कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था करें। उक्त प्रज्ञापन सात दिवस के भीतर वितरण कर अनिवार्य रूप से प्राप्तिका इस कार्यालय को भेजें ।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल, श्योपुर (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – एक

आरोप पत्र विरूद्व श्री रवि कौशल वनरक्षक
बीट रीछी दक्षिण, वनपरिक्षेत्र बड़ौदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

श्री रवि कौशल वनरक्षक वनपरिक्षेत्र बड़ौदा की बीट रीछी उत्तर अतिरिक्त प्रभार रीछी दक्षिण पर दिनांक 26.05.2022 से आज दिनांक तक पदस्थ है।

आरोप कमांक–01

श्री रवि कौशल वनरक्षक द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन कमांक 23246178 दिनांक 17.07.2023 जो कि बीट रीछी दक्षिण में अवैध कटाई के संबंध में थी संज्ञान न लेकर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा के निर्देश उपरांत परिक्षेत्र सहायक आवदा के हमराह रहकर दिनांक 23.07.2023 को प्रकरण कायम किया गया, जो कि आपकी अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। आपका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–02

वनअपराध प्रकरण कमांक 221/20 दिनांक 06.01.2024 एवं 221/21 दिनांक 07.01.2024 बीट रीछी दक्षिण कक्ष कमांक पी 81 में कमशः 52 एवं 27 नग ठूँठ कटे हुए पाये गये, जिस पर आपके द्वारा स्वतः कार्यवाही नहीं की गई एवं परिक्षेत्र सहायक के हमराह रहकर प्रकरण कायम किया गया, जो कि आपके पदीय कर्तव्यो के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–03

दिनांक 04.02.2024 को वनरक्षक श्री रवि कौशल बिना सूचना के अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित थे। जिस पर परिक्षेत्र सहायक आवदा द्वारा संज्ञान लेकर बीट रीछी दक्षिण कक्ष कमांक पी 81 में निरीक्षण के दौरान 15 नग अवैध ठूँठ पाये गये जिस पर परिक्षेत्र सहायक आवदा द्वारा वनअपराध प्रकरण कायम कर अपराधियो का पता लगाया। यह उनकी लापरवाही और अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

Scanned with OKEN Scanner

आरोप कमांक–04

यह कि दिनांक 16.03.2024 को बीट रीछी दक्षिण के कक्ष कमांक पी 80 के निरीक्षण के दौरान 0.27 हैक्टेयर क्षेत्र जुताई किया हुआ पाया गया एवं 21 नग वृक्ष उखड़े एवं कटे हुए पाये गये बीट प्रभारी श्री रवि कौशल मौके पर बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये जिस पर परिक्षेत्र सहायक के द्वारा वनअपराध प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई जो कि आपकी घोर अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–05

दिनांक 19.03.2024 को श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय के कक्ष कमांक पी 81 वृक्षारोपण वर्ष 2021 रकवा 40 हैक्टेयर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अग्नि घटना घटित होने के साक्ष्य पाये गये, पौधा रोपण में अग्नि घटना होना आपकी लापरवाही का धोतक है। आपका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाता है।

आरोप कमांक–06

बीटगार्ड श्री रवि कौशल की ड्यूटी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश कमांक/निर्वा./लो.स./स्था./2024/773 दिनांक 17.03.2024 से एस.एस.टी. निगरानी टीम में आवंटित नाका सूसवाड़ा में लगाई गई थी आप दिनांक 29.03.2024 लगातार अपने कर्तव्य पर बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे जो कि आपकी अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

प्रस्तावित

(भुवनेश कुमार योगी)
वनपरिक्षेत्राधिकारी,
वनपरिक्षेत्र बड़ौदा

अनुमोदित

(सी0एस0 चौहान)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट – दो

आरोप पत्र का आधार

आरोप पत्र विरूद्व श्री रवि कौशल वनरक्षक

बीट रीछी दक्षिण, वनपरिक्षेत्र बड़ौदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

श्री रवि कौशल वनरक्षक वनपरिक्षेत्र बड़ौदा की बीट रीछी उत्तर अतिरिक्त प्रभार रीछी दक्षिण पर दिनांक 26.05.2022 से आज दिनांक तक पदस्थ है।

आरोप कमांक–01 के लिये आधार :–

श्री रवि कौशल वनरक्षक द्वारा सी.एम. हेल्पलाईन कमांक 23246178 दिनांक 17.07.2023 जो कि बीट रीछी दक्षिण में अवैध कटाई के संबंध में थी, संज्ञान न लेकर किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई। वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा के निर्देश उपरांत परिक्षेत्र सहायक आवदा के हमराह रहकर दिनांक 23.07.2023 को प्रकरण कायम किया गया। प्रकरण में अवैध कटाई होना पाया गया, जिसमें 06 नग ठूॅठ अवैध रूप से कटे हुए पाये गये, आपके द्वारा जिसको न तो स्वतः संज्ञान में लिया गया और ना ही इसकी सूचना अपने वरिष्ठो को दी। जो कि आपकी अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। आपका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–02 के लिये आधार :–

वनअपराध प्रकरण कमांक 221/20 दिनांक 06.01.2024 एवं 221/21 दिनांक 07.01.2024 बीट रीछी दक्षिण कक्ष कमांक पी 81 में कमशः 52 एवं 27 नग ठूॅठ कटे हुए पाये गये, जिस पर आपके द्वारा स्वतः कार्यवाही नहीं की गई एवं परिक्षेत्र सहायक के हमराह रहकर प्रकरण कायम किया गया। इतनी अधिक संख्या में अवैध रूप से कटाई होना एवं जिसकी सूचना आपके द्वारा अपने वरिष्ठ को न देना आपकी लापरवाही को प्रदर्शित करता है, जो कि आपके पदीय कर्तव्यो के प्रति लापरवाही प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप कमांक–03 के लिये आधार :–

दिनांक 04.02.2024 को वनरक्षक श्री रवि कौशल बिना सूचना के अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित थे। जिस पर परिक्षेत्र सहायक आवदा द्वारा संज्ञान लेकर बीट रीछी दक्षिण कक्ष कमांक पी 81 में निरीक्षण के दौरान 15 नग अवैध ठूॅठ पाये गये जिस पर परिक्षेत्र सहायक आवदा द्वारा वनअपराध प्रकरण कायम कर अपराधियो का पता लगाया। अपने कर्तव्य पर बिना सूचना एवं अनुमति के अनुपस्थित रहना एवं अवैध कटाई की सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियो

Scanned with OKEN Scanner

को न देना साथ ही अवैध कटाई पर नियंत्रण न करना, आपकी अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप क्रमांक–04 के लिये आधार :–

यह कि दिनांक 16.03.2024 को बीट रीछी दक्षिण के कक्ष क्रमांक पी 80 के निरीक्षण के दौरान 0.27 हैक्टेयर क्षेत्र जुताई किया हुआ पाया गया एवं 21 नग वृक्ष उखड़े एवं कटे हुए पाये गये बीट प्रभारी श्री रवि कौशल मौके पर बिना सूचना के अनुपस्थित पाये गये जिस पर परिक्षेत्र सहायक के द्वारा वनअपराध प्रकरण कायम कर कार्यवाही की गई। बिना सूचना एवं अनुमति के अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित रहना अवैध अतिक्रमण एवं कटाई की सूचना अपने वरिष्ठ को न देना एवं स्वतः संज्ञान लेकर कोई कार्यवाही न करना आपकी घोर अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करता है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

आरोप क्रमांक–05 के लिये आधार :–

दिनांक 19.03.2024 को श्रीमान वनमण्डलाधिकारी महोदय के कक्ष क्रमांक पी 81 वृक्षारोपण वर्ष 2021 रकवा 40 हैक्टेयर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान अग्नि घटना घटित होने के साक्ष्य पाये गये। पौधारोपण की सुरक्षा अत्यंत गंभीर विषय है। जिससे शासन को क्षति होती है। पौधारोपण में इस तरह की घटना वन सुरक्षा की प्रति आपकी लापरवाही का धोतक है। आपका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाता है।

आरोप क्रमांक–06 के लिये आधार :–

बीटगार्ड श्री रवि कौशल की ड्यूटी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक/निर्वा./लो.स./स्था./2024/773 दिनांक 17.03.2024 से एस.एस.टी. निगरानी टीम में आवंटित नाका सूसवाड़ा में लगाई गई थी आप दिनांक 29.03.2024 से लगातार अपने कर्तव्य पर बिना अनुमति के अनुपस्थित रहे। निर्वाचन जैसे गंभीर कार्यो में इस तरह की लापरवाही आपकी घोर अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करती है। उनका यह कृत्य मध्य प्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन कर, अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही का भागीदार बनाया।

प्रस्तावित	अनुमोदित
(भुवनेश कुमार योगी)	(सी0एस0 चौहान)
वनपरिक्षेत्राधिकारी,	भा.व.से.
वनपरिक्षेत्र बड़ौदा	वनमण्डलाधिकारी
	सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–तीन

आरोप पत्र से संबंधित दस्तावेजो का विवरण
आरोप पत्र विरूद्ध श्री रवि कौशल वनरक्षक
बीट रीछी दक्षिण, वनपरिक्षेत्र बड़ौदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

आरोप कमांक 01 के लिये :–

01 सी0एम0 हेल्पलाईन कमांक 23246178 दिनांक 17.07.2023 की छायाप्रति

02 प्रकरण कमांक 221/18 दिनांक 23.07.2023 की छायाप्रति

आरोप कमांक 02 के लिये :–

01 प्रकरण कमांक 221/20 दिनांक 06.01.2024 की छायाप्रति

02 प्रकरण कमांक 221/21 दिनांक 07.01.2024 की छायाप्रति

आरोप कमांक 03 के लिये :–

01 प्रकरण कमांक 53/21 दिनांक 04.02.2024 की छायाप्रति

आरोप कमांक 04 के लिये :–

01 प्रकरण कमांक 53/23 दिनांक 16.03.2024 की छायाप्रति

आरोप कमांक 05 के लिये :–

01 निरंक

आरोप कमांक 06 के लिये :–

01 कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्योपुर का आदेश कमांक/निर्वा./लो.स./स्था./2024/773 दिनांक 17.03.2024 की छायाप्रति।

02 वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा का पत्र कमांक/415 दिनांक 01.04.2024 की छायाप्रति।

प्रस्तावित	**अनुमोदित**
(भुवनेश कुमार योगी)	**(सी0एस0 चौहान)**
वनपरिक्षेत्राधिकारी,	**भा.व.से.**
वनपरिक्षेत्र बड़ौदा	**वनमण्डलाधिकारी**
	सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

परिशिष्ट–चार

अभियोजन साक्ष्यो की सूची
आरोप पत्र विरूद्व श्री रवि कौशल वनरक्षक
बीट रीछी दक्षिण, वनपरिक्षेत्र बड़ौदा, सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

आरोप क्रमांक 01 के लिये :–

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।
03 श्री राजेन्द्र कुमार सुमन बीटगार्ड आवदा उत्तर वन परिक्षेत्र बड़ौदा।
04 श्री मोतीराम सुरक्षा श्रमिक रिछी।
05 श्री कल्ला सुरक्षा श्रमिक रिछी।

आरोप क्रमांक 02 के लिये :–

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।
03 श्री राजेन्द्र कुमार सुमन बीटगार्ड आवदा उत्तर वन परिक्षेत्र बड़ौदा।
04 श्री मोतीराम सुरक्षा श्रमिक रिछी।
05 श्री कल्ला सुरक्षा श्रमिक रिछी।

आरोप क्रमांक 03 के लिये :–

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।
03 श्री अनुज वापजपेयी बीटगार्ड दक्षिण पनार वन परिक्षेत्र बड़ौदा।

आरोप क्रमांक 04 के लिये :–

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।
03 श्री दिनेश आदिवासी सुरक्षा श्रमिक आवादा।

आरोप क्रमांक 05 के लिये :–

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।

आरोप क्रमांक 06 के लिये :–

01 श्री भुवनेश कुमार योगी वनपरिक्षेत्राधिकारी बड़ौदा ।
02 श्री सुग्रीव सिंह परिक्षेत्र सहायक आवदा वनपरिक्षेत्र बड़ौदा।

प्रस्तावित

(भुवनेश कुमार योगी)
वनपरिक्षेत्राधिकारी,
वनपरिक्षेत्र बड़ौदा

अनुमोदित

(सी0एस0 चौहान)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

Scanned with OKEN Scanner

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

Phone No. 07530-220002, Fax No. 07530- 220602
E-mail ID :- dfotskalan@mp.gov.in

क्रमांक / डी0एम0 / 2024 / 1889 श्योपुर, दिनांक : 15/3/24

प्रति,

वन व्यवस्थापन अधिकारी एवं
पदेन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कराहल, जिला श्योपुर

विषय :- माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल बेंच के प्रकरण क्रमांक 183/2023 महेन्द्र प्रताप सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य द्वारा दिनांक 23/02/2024 को पारित आदेश के अनुपालन बावत्।

---000---

विषयांकित प्रकरण में लेख है कि माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा पारित आदेश में माननीय न्यायालय ने यह निर्देश जारी किये है कि वन व्यवस्थापन अधिकारी कराहल के अंतर्गत प्रचलित आरक्षित वनखण्डों की भारतीय वन अधिनियम की धारा 5 से 20 की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जावे।

संयुक्त समिति द्वारा भ्रमण किये गये क्षेत्र का आंशिक भाग वनखण्ड रीछी के अंतर्गत है जिसकी वन व्यवस्थापन की कार्यवाही आपके कार्यालय में लम्बित है।

अतः वनखण्ड रीछी के वन व्यवस्थापन की धारा 5 से धारा 20 की कार्यवाही एवं वनभूमि का संयुक्त सर्वे एवं सीमांकन कराने एवं सीमा चिन्ह निर्धारित कर कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने का कष्ट करें।

संलग्न :- विषयांकित माननीय न्यायालय के आदेश की छायाप्रति

(सी0एस0 चौहान)
भा.व.से.
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक / डी0एम0 / 2024 / 1900 श्योपुर, दिनांक : 15/3/24

प्रतिलिपि :-

01. कलेक्टर जिला श्योपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।
02. उपवनमण्डलाधिकारी कराहल की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
03. वन परिक्षेत्राधिकारी कराहल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
04. तहसीलदार कराहल को सर्वे सीमांकन एवं सीमा चिन्ह लगाने की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने हेतु प्रेषित है।
05. कोर्ट शाखा प्रभारी, वनमण्डल कार्यालय श्योपुर की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, श्योपुर (म.प्र.)

Phone No. 07530-220002, Fax No. 07530- 220602
E-mail ID :- dfotskalan@mp.gov.in

क्रमांक / डी0एम0 / 2024 / 1897 श्योपुर, दिनांक : 15/3/24

प्रति,

कलेक्टर
जिला श्योपुर

विषय :— वन व्यवस्थापन अधिकारी श्योपुर/कराहल/विजयपुर के अंतर्गत लम्बित वन व्यवस्थापन की कार्यवाही (भा.व.अ. धारा 5 से 20) शीघ्र पूर्ण कराये जाने बावत्।

—000—

अनुरोध है कि विषयांतर्गत माननीय न्यायालय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण भोपाल द्वारा **प्रकरण क्रमांक OA 183/2023 महेन्द्र प्रताप सिंह विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य द्वारा दिनांक 23/02/2024 को** पारित आदेश में माननीय न्यायालय ने यह निर्देश जारी किये है कि वनखण्डों की भारतीय वन अधिनियम की धारा 5 से 20 की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण की जाये, जो कि कई दशकों से लम्बित है जिसमें वनभूमि के सर्वे एवं डिमारकेशन का कार्य शीघ्र पूर्ण किया जाना सम्मिलित है।

अतः आपसे निवेदन है कि वन व्यवस्थापन अधिकारी श्योपुर/कराहल/विजयपुर को वनखण्डों के वन व्यवस्थापन की लम्बित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण किये जाने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

(सी0एस0 चौहान)
भा.व.से
वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

पृ0 क्रमांक / डी0एम0 / 2024 / 1898 श्योपुर, दिनांक : 15/3/24

प्रतिलिपि :—

01. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) श्योपुर/कराहल/विजयपुर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
02. उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर/कराहल/विजयपुर की ओर सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
03. कोर्ट शाखा प्रभारी, वनमण्डल कार्यालय श्योपुर की ओर सूचनार्थ।

वनमण्डलाधिकारी,
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल श्योपुर (म.प्र.)

Phone No. 07530-220002, Fax No. 07530- 220602
E-mail ID :- dfotskalan@mp.gov.in

क्रमांक/संरक्षण/2024/ 2530 श्योपुर, दिनांक 05/4/24

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण),
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय :– **दिनांक 03.04.2024 को राजस्व एवं पुलिस तथा अन्य वन परिक्षेत्रो के वन स्टाफ के सहयोग से बीट मोरेका में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।**

संदर्भः– वनपरिक्षेत्राधिकारी खाड़ी का प्रतिवेदन क्रमांक 862 दिनांक 04.04.2024

....

उपरोक्त संदर्भित प्रतिवेदन के पालन में निवेदन है कि, वनपरिक्षेत्राधिकारी खाड़ी द्वारा दिनांक 03.04.2024 को बीट मोरेका में निम्नानुसार पंजीबद्ध प्रकरणों में अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही सम्पन्न की गईः–

क्र.	पी.ओ.आर. न. व दिनांक	बीट का नाम व क्रमांक	अतिकमित वन भूमि पर बनाई गयी झोपडियों की संख्या	अतिक्रामकों की संख्या	बनाई गई झोपडियों का अतिक्रमित रकवा	बागड़ द्वारा घेरा गया अतिक्रमित रकवा	कुल अतिक्रमित रकवा	बेदखल किया गया कुल रकवा
1	258/22 दिनांक 06.07.2023	मोरेका आर.एफ. 588	-	07	05 हैक्ट.	–	05 हैक्ट.	05 हैक्ट.
2	258/23 दिनांक 10.07.2023	मोरेका आर.एफ. 588 (स्थानीय नाम सुखवेला)	36	36	01 हैक्ट.	–	01 हैक्ट.	01 हैक्ट.
3	258/25 दिनांक 12.07.2023	मोरेका आर.एफ. 587 (स्थानीय नाम रईका)	61	61	1.350 हैक्ट.	22 हैक्टे.	23.350 हैक्ट.	23.350 हैक्ट.
	कुल योग :–		97	104	7.350 हैक्ट.	22 हैक्ट.	29.350 हैक्ट.	29.350 हैक्ट.

उपरोक्त प्रकरणों में अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर के नेतृत्व में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विजयपुर, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस श्योपुर की उपस्थिति में एवं थाना ओछापुरा, रघुनाथपुर एवं ढोढर के पुलिस बल तथा वनमण्डल के समस्त वन स्टाफ, स्थाईकर्मी तथा समिति सुरक्षा श्रमिकों के सहयोग से संयुक्त अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही कर 97 नग अस्थाई झोंपड़ियों को जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर की सहायता से उखाडकर बेदखल किया जाकर 29.350 हे0 वनक्षेत्र अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया।

संयुक्त बेदखली कार्यवाही का प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– प्रतिवेदन मय पंचनामा–03 ।

(सी0एस0 चौहान)
भा0व0से0
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/संरक्षण/2024/ 2531 श्योपुर, दिनांक 05/4/24

प्रतिलिपि :–

मुख्य वनसंरक्षक, वनवृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

E-mail
05/04/2024
7:37 PM

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी खाड़ी (श्यामपुर)

E-mail ID :- rotkhadi@mp.gov.in

क्रमांक /संरक्षण/2024/862 दिनांक 04/04/2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वनमण्डल श्योपुर ।

विषय :– **दिनांक 03.04.2024 को राजस्व एवं पुलिस तथा अन्य वन परिक्षेत्रों के वन स्टाफ के सहयोग से बीट मोरेका में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।**

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/संरक्षण/1969–1971–1973 दिनांक 19.03.2024 के पालन में ।

......................✸✸....................

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है, कि दिनांक 03.04.2024 को वन परिक्षेत्र खाड़ी (श्यामपुर) के अंतर्गत पूर्व में बीट मोरेका में पंजीबद्व प्रकरणों में अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर , कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील बीरपुर, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्योपुर , उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर एवं कराहल तथा पुलिस थाना प्रभारी ओछापुरा, रघुनाथपुर एवं ढोढर मय पुलिस बल एवं वन परिक्षेत्र खाड़ी तथा अन्य वनपरिक्षेत्रो के वनपरिक्षेत्राधिकारी मय वन स्टाफ एवं स्थाईकर्मी सहित उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, श्योपुर के नेतृत्व में दिनांक 03.04.2024 को निम्नानुसार प्रकरणों में अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही संम्पन्न की गई :–

01 बीट मोरेका के वन कक्ष क्रमांक आर0एफ0 588 में ग्राम झोपड़ी के आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से वनक्षेत्र में हल बैल से 5.000 हेक्टर्स वनभूमि की जुताई किये जाने के फलस्वरूप **वन अपराध प्रकरण क्रमांक 258/22 दिनांक 06.07.2023** रामगिलास पुत्र किशोरी आदिवासी एवं अन्य साथी 06 के विरूद्व कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में वनमण्डल कार्यालय श्योपुर के द्वारा पत्र क्रमांक/संरक्षण/5972 दिनांक 17.07.2023 से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत अतिक्रमणकारियों को स्वतः वनभूमि से बेदखल होने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये। समयावधि में वनभूमि से बेदखल न होने पर वनमण्डल कार्यालय श्योपुर के द्वारा बेदखली आदेश क्रमांक/सरक्षण/ 1375 दिनांक 14.08.2023 ज़ारी किये गये। बेदखली आदेश ज़ारी होने के उपरांत भी अतिक्रमणकारी वनभूमि से अपना अवैध कब्जा हटाने को सहमत नहीं हुये, तथा वनस्टाफ के साथ झगड़ा फसाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना को देखते हुए राजस्व एवं पुलिस प्रशासन तथा वनविभाग की संयुक्त कार्यवाही से अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही किये जाने हेतु वनमंण्डलाधिकारी महोदय श्योपुर से अन्य परिक्षेत्रों के वनस्टाफ एवं पुलिस बल तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मौके पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। संदर्भित पत्रों से वनमण्डलाधिकारी महोदय श्योपुर के द्वारा कलेक्टर महोदय श्योपुर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय श्योपुर को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 03.04.2024 तिथि नियत की गई। दिनांक 03.04.2024 को उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, श्योपुर के नेतृत्व में वनमण्डल श्योपुर के अधीनस्थ वन

परिक्षेत्रों के वनपरिक्षेत्राधिकारी मय वन स्टाफ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्योपुर एवं उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर एवं कराहल तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील वीरपुर एवं पुलिस थाना प्रभारी ओछापुरा, ढोढर एवं रघुनाथपुर मय पुलिस बल के सहयोग से अतिक्रमित वनभूमि 5.000 हेक्टर्स को अतिक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक मुक्त कराया गया। मोके पर कोई अतिक्रमणकारी नहीं मिला, ओर न ही मोके पर कोई फसल पाई गई। उक्त अतिक्रमित क्षेत्र पर घेराव हेतु कांटेदार झाड़ियों की बनाई गई बागड़ को भी जे0सी0बी0 की सहायता से नष्ट किया जाकर बेदखली की कार्यवाही सम्पन्न की गई। उपरोक्त **संयुक्त कार्यवाही का मौका पंचनामा बनाया गया, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।**

02 बीट मोरेका के वन कक्ष क्रमांक आर0एफ0 588 में ग्राम झोपड़ी के आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से वनक्षेत्र (स्थानीय स्थल का नाम सुखदेला) में अवैध रूप से 36 अस्थाई झोपडीयॉ 1.000 हेक्टर्स वनक्षेत्र में बनाई जाकर झोंपड़ियों में 216 नग मिश्रित प्रजाति की लकड़ियों को लगाकर अतिक्रमण करने का प्रयास किये जाने के फलस्वरूप **वन अपराध प्रकरण क्रमांक 258/23 दिनांक 10.07.2023** पवन पुत्र रामगिलास आदिवासी एवं अन्य साथी 35 के विरूद्व कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में वनमण्डल कार्यालय श्योपुर के द्वारा पत्र क्रमांक/संरक्षण/5991 दिनांक 17.07.2023 से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत अतिक्रमणकारियों को स्वतः वनभूमि से बेदखल होने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये। समयावधि में वनभूमि से बेदखल न होने पर वनमण्डल कार्यालय श्योपुर के द्वारा बेदखली आदेश क्रमांक/संरक्षण/1378 दिनांक 14.08.2023 जारी किये गये। बेदखली आदेश जारी होने के उपरांत भी अतिक्रमणकारी वनभूमि से अपना अवैध कब्जा हटाने को सहमत नहीं हुये। दिनांक 03.04.2024 को उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, श्योपुर के नेतृत्व में वनमण्डल श्योपुर के अधीनस्थ वन परिक्षेत्रो के वनपरिक्षेत्राधिकारी मय वन स्टाफ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर , अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्योपुर एवं उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर एवं कराहल तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील वीरपुर एवं पुलिस थाना प्रभारी ओछापुरा, ढोढर एवं रघुनाथपुर मय पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर जाकर अस्थाई 36 झोंपड़ियों को जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर की सहायता से जमींदोज किया जाकर झोंपड़ियों में लगी 216 नग लकड़ियों (4.000 जलाऊ चट्टा) को **डिपो ओछापुरा** परिवहन कराया जाकर अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पन्न की गई। उपरोक्त **संयुक्त कार्यवाही का मौका पंचनामा बनाया गया, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।**

03 बीट मोरेका के वन कक्ष क्रमांक आर0एफ0 588 में ग्राम सोहरी के आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से वनक्षेत्र (स्थानीय स्थल का नाम रही का) में अवैध रूप से 61 अस्थाई झोपड़ियॉ बनाई जाकर झोंपड़ियों में 366 नग मिश्रित प्रजाति की लकड़ियों को लगाकर अतिक्रमण करने का प्रयास किये जाने के फलस्वरूप **वन अपराध प्रकरण क्रमांक 258/25 दिनांक 12.07.2023** हरिविलास पुत्र रामनाथ

आदिवासी एवं अन्य साथी 60 के विरूद्व कायम किया गया था। प्रकरण में वनमण्डल कार्यालय श्योपुर के द्वारा पत्र क्रमांक/संरक्षण/5995 दिनांक 17.07.2023 से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80 (अ) के तहत अतिक्रमणकारियों को स्वतः वनभूमि से बेदखल होने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये। समयावधि में वनभूमि से बेदखल न होने पर वनमण्डल कार्यालय श्योपुर के द्वारा बेदखली आदेश क्रमांक/संरक्षण/1376 दिनांक 14.08.2023 जारी किये गये। बेदखली आदेश जारी होने के उपरांत भी अतिक्रमणकारी वनभूमि से अपना अवैध कब्जा हटाने को सहमत नहीं हुये। दिनांक 03.04.2024 को उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, श्योपुर के नेतृत्व में वनमण्डल श्योपुर के अधीनस्थ वन परिक्षेत्रो के वनपरिक्षेत्राधिकारी मय वन स्टाफ एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर , अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्योपुर एवं उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर एवं कराहल तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तहसील वीरपुर एवं पुलिस थाना प्रभारी ओछापुरा, ढोढर एवं रघुनाथपुर मय पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर जाकर अस्थाई 61 झोंपड़ियों को जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर की सहायता से जमींदोज किया जाकर झोंपड़ियों में लगी 366 नग लकड़ियों (8.000 जलाऊ चट्टा) को **डिपो चांदूपुरा** परिवहन कराया जाकर अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पन्न की गई। मोके पर उक्त स्थल के चारों ओर काटेंदार झाड़ियों की लगाई गई बागड़ 22.000 हेक्टर्स को भी जें0सी0बी0 की सहायता से नष्ट कराया गया है। उपरोक्त **संयुक्त कार्यवाही का मौका पंचनामा बनाया गया, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।**

इस प्रकार दिनांक 03.04.2024 को बीट मोरेका के वनकक्ष क्रमांक आर0एफ0 587 एवं 588 में वनभूमि पर निर्मित कुल 97 अस्थाई झोंपड़ियों को हटाकर कुल 29.350 हेक्टर्स अतिक्रमित वनभूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया है।

अतः दिनांक 03.04.2024 को उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, श्योपुर के नेतृत्व में राजस्व, वन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई वनभूमि पर अतिक्रमण की बेदखली हेतु संयुक्त कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– मौका पंचनामा 03 की मूलप्रति।

(रामजीलाल आदिवासी)
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र खाड़ी (श्यामपुर)
दिनांक ....

क्रमांक/संरक्षण/2024/

प्रतिलिपि :–

उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, उपवनमण्डल श्योपुर की सेवा में सूचनार्थ सादर संम्प्रेषित।

संलग्न :– मौका पंचनामा 03 की छायाप्रति।

वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र खाड़ी (श्यामपुर)

वन मण्डल श्योपुर (म.प्र.) 2474 दिनांक 5/4/24

दिनांक - 03/04/2024 (4)
समय - 2:10 PM

पंचनामा

हम पंच गण नीचे हस्ताक्षर कर्ता सही-सही मट पंचनामा लिख देते है कि आज दिनांक 03/04/2024 को श्रीमान वन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर के पत्र क्रमांक 1971 दिनांक 19/03/2024 के पालन में श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर अनुविभागीय अधिकारी महो. (पुलिस) श्योपुर, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वीरपुर, उप वन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर, कराहल तथा पुलिस थाना प्रभारी ओछापुरा, वीरपुर, रघुनाथपुर अपने पुलिस बल के साथ एवं वन मण्डल के अधीन समस्त वन परिक्षेत्राधिकारी मय वन स्टाफ एवं सुरक्षा कर्मी, श्रीमान उप वन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर के नेतृत्व में बीट मोरेका के वन कक्ष क्रमांक RF 588 में अतिक्रमण के उद्देश्य से 05 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल बुवाई करने हेतु जमीन जुताई करने के संबंध में प्रकरण क्रमांक 258/22 दि. 06/07/2023 को अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु मौके पर पहुंचे। मौके पर कोई व्यक्ति नहीं मिला उक्त अतिक्रमित क्षेत्र के चारों ओर झाड़ियों की बागड़ पाई गई एवं मौके पर कोई फसल नहीं पाई गई। अतिक्रमित क्षेत्र के चारों ओर हो रही बागड़ को JCB की सहायता से जमींदोज करते हुए नष्ट किया जाकर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। उक्त स्थल पर की गई बेदखली कार्यवाही शांतिपूर्ण एवं सफलता पूर्वक सम्पन्न की गई मौके पर की गई बेदखली कार्यवाही का मौका पंचनामा बनाया जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा के द्वारा लेख बद्ध किया गया

Dinesh kumar
03/04/2024
दिनेश गौड़ वनरक्षक

03/04/24
M.T. Birpur

03/04/24
SDO Sheopur

3/4/2024
DSP Sheopur

S. DFO
Karahal

3/4/24
S.D.M
Vijaypur

03/04/2024
R.O. Vijaypur West

R.O. Karahal
03.04.2024

दिनांक - 03/04/2024
समय - 11:35 Am (8)

पंचनामा

हम पंचान नीचे हस्ताक्षर कर्ता सही-सही तसदीक कर यह पंचनामा लिख देते है कि आज दिनांक 03/04/2024 को श्रीमान वन मण्डलाधिकारी महोदय श्योपुर के पत्र क्रमांक 1971 दिनांक 19/03/2024 के पालन मे श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्योपुर, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वीरपुर, उप वन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर एवं कराहल तथा पुलिस थाना प्रभारी ओछापुरा, रघुनाथपुर एवं ढोढर अपने पुलिस बल के साथ एवं वन मण्डल के अधीन समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी मय वनरक्षक एवं स्थाई कर्मी, श्रीमान उपवन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर के नेतृत्व में बीट मोरेका के वन कक्ष क्रमांक RF588 में पूर्व मे वन क्षेत्र मे (36) अस्थाई झोपड़ियां बनाकर अतिक्रमण करने के अपराध मे प्रकरण क्र. 258/23 दि. 10/07/2023 अतिक्रमित रकबा 01 हैक्टर की बेदखली-कार्यवाही हेतु मौके पर पहुँचे। मौके पर प्रथम तथः लाउड स्पीकर के द्वारा वन परिक्षेत्राधिकारी बड़ी (श्यामपुर) ने अस्थाई झोपड़ियों मे अतिक्रमणकारियों का सामान एवं स्वयं को मय सामान के हटने हेतु मुनादी कराई तत्पश्चात झोपड़ियों मे स्टाफ के द्वारा देख जाकर समस्त रिक्त झोपड़ियों को JCB एवं ट्रेक्टर ट्रोली की सहायता से झोपड़ियों को जमींदोज कर नष्ट करते हुए वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। मौके पर झोपड़ियों मे लगी हुई 216 नग मिश्रित प्रजाति के बल्ली (जलाऊचट्टा - 04 नग) जप्त किया जाकर ट्रेक्टर की सहायता से डिपो ओछापुरा परिवहन कराया गया। उक्त स्थल पर अतिक्रमण के दखली की कार्यवाही शांतिपूर्ण तरीके से सफलता पूर्वक सम्पन्न की गई। मौके पर की गई बे-दखली कार्यवाही का मौका पंचनामा बनाया जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लेखबद्ध किया गया
Dinesh Gour
03/04/2024
दिनेश गौड़ वनरक्षक

[signature] 3/4/24
N.T. Bijaypur

[signature] 03/04/24
SDO Sheopur

[signature] 3/4/2024 Karahal
SDO Sheopur

[signature] 3/4/24
S.D.M. Vijaypur

[signature] 03/04/2023
R.O. Vijaypur West

[signature] R.O. Jamada
03.04.2024

(6)

दिनाँक- 03/04/2024
समय - 1:20 PM

पंचनामा

हम पंचान नीचे हस्ताक्षर कर्ता सही-सही तसदीक कर यह पंचनामा लिख देते है कि आज दिनाँक 03/04/2024 को श्रीमान वन मण्डलाधिकारी महोदय श्योपुर के पत्र क्रमाँक 1971 दिनाँक 19/03/2024 के पालन मे श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर, अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) श्योपुर, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वीरपुर, उप वन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर, कराहल तथा पुलिस थाना प्रभारी ओछापुरा, रघुनाथपुर. देहात अपने पुलिस बल के साथ एवं वन मण्डल के अधीन समस्त वन परिक्षेत्र अधिकारी मय वन स्टाफ एवं स्थाई कर्मी, श्रीमान उपवन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर के नेतृत्व मे बीट मोरेका के वन कक्ष क्रमाँक RF587 मे पूर्व मे वन क्षेत्र मे 61 अस्थाई झोपड़ियो बनाकर अतिक्रमण करने के अपराध मे प्रकरण क्र. 258/25 दि. 12/07/2023 अतिक्रमित रकबा 1.350 हैक्टर की बेदखली कार्यवाही हेतु मौके पर पहुँचे। मौके पर प्रथम तमः वन परिक्षेत्र अधिकारी मेड़ी (श्यामपुर) के द्वारा लाउड स्पीकर से अस्थाई झोपड़ियो मे अतिक्रमण कारियो को सामान एवं स्वयं के मय सामान के हटने हेतु मुनादी कराई। इसके बाद झोपड़ियो मे वन स्टाफ के द्वारा देख जाकर समस्त रिक्त 61 झोपड़ियो को Jcb एवं ट्रेक्टर ट्रोली की सहायता से जमीदोज कर नष्ट करते हुए वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। उक्त स्थल पर झाड़ियो से चारो ओर की गई बागड़ लगभग 22 हैक्ट. को भी Jcb की सहायता से ध्वस्त कर अतिक्रमण क्षेत्र को मुक्त कराया गया। मौके पर झोपड़ियो मे लगी हुई 366 नग मिश्रित प्रजाति की बल्ली (जलाऊ चट्टा-08 नग) को ट्रेक्टरो की सहायता से डिपो चाँदपुरा परिवहन कराया गया। उक्त स्थल पर की गई बेदखली कार्यवाही शाँतिपूर्ण तरीके से सफलता पूर्वक सम्पन्न की गई। मौके पर की गई कार्यवाही (बे-दखली) का मौका पंचनामा बनाया जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लेखबद्ध किया गया
Dinesh Gaur
03/04/2024
दिनेश गौड़ वनरक्षक

(signature) N.T. Bir Pur

(signature) S. DFO Karahal

(signature) 03/04/24 SDO Sheopur

(signature) 3/4/24 S.D.M.

(signature) 3/4/2024 DSP Sheopur

(signature) 03/04/2024 R.O. Vijaypur West

(signature) R.O. Khadi 03.04.2024

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमंडल श्योपुर (म.प्र.)

Phone No. 07530-220002, Fax No. 07530- 220602
E-mail ID :- dfotskalan@mp.gov.in

क्रमांक / संरक्षण / 2024 / 2052 श्योपुर, दिनांक 21/3/24

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण),
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय :- **दिनांक 08.03.2024 को राजस्व एवं पुलिस तथा अन्य वन परिक्षेत्रो के वन स्टाफ के सहयोग से बीट मोरेका में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।**

संदर्भ:- वनपरिक्षेत्राधिकारी खाड़ी का प्रतिवेदन क्रमांक 626 दिनांक 09.03.2024 एवं इस कार्यालय को प्राप्त दिनांक 11.03.2024

....

उपरोक्त संदर्भित प्रतिवेदन के पालन में निवेदन है कि, वनपरिक्षेत्राधिकारी खाड़ी द्वारा दिनांक 08.03.2024 को बीट मोरेका में निम्नानुसार पंजीबद्ध प्रकरणों में अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही सम्पन्न की गई :-

क्र.	पी.ओ.आर..न. व दिनांक	बीट का नाम व कमांक	अतिकमित वन भूमि पर बनाई गयी झोपडियों की संख्या	अतिकमणकों की संख्या	बनाई गई झोपडियों का अतिकमित रकवा	बागड़ द्वारा घेरा गया अतिकमित रकवा	कुल अतिकमित रकवा	बेदखल किया गया कुल रकवा
1	258 / 24 दिनांक 11.07.2023	मोरेका पी.591	49	49	03 हैक्ट.	25 हैक्ट.	28 हैक्ट.	28 हैक्ट.
2	179 / 18 दिनांक 05.09.2023	मोरेका पी. 590	14	14	03 हैक्ट.	–	03 हैक्ट.	03 हैक्ट.
3	416 / 06 दिनांक 01.03.2024	मोरेका पी. 590	7	7	0.280 हैक्ट.	–	0.280 हैक्ट.	0.280 हैक्ट.
कुल योग :-			70	70	6.280 हैक्ट.	25 हैक्ट.	31.280 हैक्ट.	31.280 हैक्ट.

उपरोक्त प्रकरणों में अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही उपवनमण्डलाधिकारी श्योपुर के नेतृत्व में राजस्व विभाग, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, तहसील बीरपुर, पुलिस थाना ओछापुरा, रघुनाथपुर एवं ढोढर के पुलिस बल तथा वन परिक्षेत्र खाड़ी एवं अन्य परिक्षेत्रो के वन स्टाफ, स्थाईकर्मी तथा समिति सुरक्षा श्रमिकों के सहयोग से संयुक्त अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही कर 70 नग अस्थाई झोंपड़ियों को जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर की सहायता से जमींदोज किया जाकर 31.280 हे0 वनक्षेत्र अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया।

संयुक्त बेदखली कार्यवाही का प्रतिवेदन सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- प्रतिवेदन मय पंचनामा-03 ।

E-mail
21/03/2024
4:47 PM

(सी0एस0 चौहान)
भा0व0से0
वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल श्योपुर, (म0प्र0)

पृ0क्रमांक / संरक्षण / 2024 / 2053 श्योपुर, दिनांक 21/3/24

प्रतिलिपि :-

मुख्य वनसंरक्षक, वनवृत्त ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल श्योपुर (म0प्र0)

D:\D.K. Kulshresth\Letter 2024\Atikraman Letter 2024.doc

(1)

कार्यालय वन परिक्षेत्राधिकारी खाड़ी (श्यामपुर)

E-mall ID :- rotkhadi@mp.gov.in

कमांक /संरक्षण/2024/ 626 दिनांक 09/03/2024

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदय,
सामान्य वनमण्डल श्योपुर ।

विषय :– दिनांक 08.03.2024 को राजस्व एवं पुलिस तथा अन्य वन परिक्षेत्रो के वन स्टाफ के सहयोग से बीट मोरेका में अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने बाबत्।

संदर्भ :– आपका पत्र क्रमांक/संरक्षण/1390–1400–1402 दिनांक 28.02.2024

.....................✸✸..................

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के पालन में निवेदन है कि दिनांक 08.03.2024 को वन परिक्षेत्र खाड़ी (श्यामपुर) के अंतर्गत पूर्व में बीट मोरेका में पंजीबद्व प्रकरणों में अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु राजस्व विभाग से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, तहसील बीरपुर, पुलिस थाना ओछापुरा, रघुनाथपुर एवं ढोढर के पुलिस बल तथा वन परिक्षेत्र खाड़ी एवं अन्य परिक्षेत्रो के वन स्टाफ एवं स्थाईकर्मी तथा समिति सुरक्षा श्रमिकों सहित उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, श्योपुर के नेतृत्व में दिनांक 08.03.2024 को निम्नानुसार प्रकरणों में अतिकमण बेदखली की कार्यवाही संम्पन्न की गई :–

1. बीट मोरेका के वन कक्ष कमांक पी.एफ. 591 में ग्राम गोलीपुरा के आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से वनक्षेत्र में दिनांक 11.07.2023 को अवैध रूप से 49 अस्थाई झोपडीयां बनाई जाकर झोंपड़ियों में 294 नग लकड़ी लगाकर अतिक्रमण करने का प्रयास किये जाने के फलस्वरूप वन अपराध प्रकरण कमांक 258/24 दिनांक 11.07.2023 रामनिवास पुत्र ढम्मा आदिवासी एवं अन्य साथी 48 के विरूद्व कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में वनमण्डल कार्यालय श्योपुर के द्वारा पत्र क्रमांक 5993 दिनांक 17.07.2023 से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत अतिक्रमणकारियों को स्वतः वनभूमि से बेदखल होने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये। समयावधि में वनभूमि से बेदखल न होने पर वनमण्डल कार्यालय श्योपुर के द्वारा बेदखली आदेश क्रमांक 1377 दिनांक 14.08.2023 जारी किये गये। बेदखली आदेश जारी होने के उपरांत भी अतिक्रमणकारी वनभूमि से अपना अवैध कब्जा हटाने को सहमत नही हुऐ तथा वनस्टाफ के साथ झगड़ा फसाद की स्थिति निर्मित होने की संभावना को देखते हुए राजस्व एवं पुलिस प्रशासन तथा वनविभाग की संयुक्त कार्यवाही से अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही किये जाने हेतु वनमण्डलाधिकारी महोदय श्योपुर से वनस्टाफ एवं पुलिस बल तथा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट मौके पर उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। संदर्भित पत्रों से वनमण्डलाधिकारी महोदय श्योपुर के द्वारा कलेक्टर महोदय श्योपुर एवं पुलिस अधीक्षक महोदय श्योपुर को कार्यपालिक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल उपलब्ध कराये जाने हेतु दिनांक 08.03.2024 तिथि नियत की जाकर

अनुरोध किया गया। संदर्भित पत्रों के पालन में अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु राजस्व विभाग से कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, तहसील बीरपुर, पुलिस थाना ओछापुरा, रघुनाथपुर एवं ढोढर के पुलिस बल तथा वन परिक्षेत्र खाड़ी एवं अन्य परिक्षेत्रो के वन स्टाफ एवं स्थाईकर्मी तथा समिति सुरक्षा श्रमिकों सहित उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, श्योपुर के नेतृत्व में दिनांक 08.03.2024 को उक्त प्रकरण में अतिकमण बेदखली की कार्यवाही संम्पन्न की गई।

परिक्षेत्र सहायक ओछापुरा के द्वारा अपने प्रतियेदन दिनांक 08.03.2024 से प्रतिवेदित किया कि वनअपराध प्रकरण क्रमांक 258/24 दिनांक 11.07.2023 में अतिक्रमणकारियों के द्वारा स्थल पर बनाई गई अस्थाई 49 झोंपड़ियों को जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर की सहायता से जमींदोज किया जाकर झोंपड़ियों में लगी 294 नग लकड़ियों (3.000 जलाऊ चट्टा) को डिपो ओछापुरा परिवहन कराया जाकर अतिक्रमित वनभूमि को अतिक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक मुक्त कराया जाकर वन भूमि को वनविभाग के अधिपत्य मे लिया गया। उपरोक्त **संयुक्त कार्यवाही का मौका पंचनामा बनाया गया, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।**

2. बीट मोरेका के वन कक्ष कमांक पी.एफ. 590 में कोल्हू का सहराना, टर्राकलां के आदिवासी समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा सामूहिक रूप से वनक्षेत्र में अवैध रूप से 14 अस्थाई झोपडीयॉ बनाई जाकर झोंपड़ियों में 84 नग लकड़ियों को लगाकर अतिकमण करने का प्रयास किये जाने के फलस्वरूप वन अपराध प्रकरण कमांक 179/18 दिनांक 05.09.2023 बनवारी पुत्र मदन आदिवासी एवं अन्य साथी 13 के विरूद्व कायम किया गया था। उक्त प्रकरण में वनमण्डल कार्यालय श्योपुर के द्वारा पत्र क्रमांक 7711 दिनांक 19.09.2023 से भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 80(अ) के तहत अतिक्रमणकारियों को स्वतः वनभूमि से बेदखल होने हेतु सूचना पत्र जारी किये गये। समयावधि में वनभूमि से बेदखल न होने पर वनमण्डल कार्यालय श्योपुर के द्वारा बेदखली आदेश क्रमांक 1950 दिनांक 21.11.2023 जारी किये गये। बेदखली आदेश जारी होने के उपरांत भी अतिक्रमणकारी वनभूमि से अपना अवैध कब्जा हटाने को सहमत नही हुऐ। दिनांक 08.03.2024 को उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, श्योपुर के नेतृत्व में वनमण्डल श्योपुर के अधीनस्थ वन परिक्षेत्रो के समस्त स्टाफ एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर जाकर अस्थाई 14 झोंपड़ियों को जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर की सहायता से जमींदोज किया जाकर झोंपड़ियों में लगी 84 नग लकड़ियों (1.500 जलाऊ चट्टा) को डिपो ओछापुरा परिवहन कराया जाकर अतिकमण बेदखली की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

परिक्षेत्र सहायक ओछापुरा के द्वारा अपने प्रतियेदन दिनांक 08.03.2024 से प्रतिवेदित किया कि वनअपराध प्रकरण क्रमांक 179/18 दिनांक 05.09.2023 मे अतिक्रमणकारियों के द्वारा स्थल पर बनाई गई अस्थाई 14 झोंपड़ियों को जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर की सहायता से जमींदोज किया जाकर झोंपड़ियों में लगी 84 नग लकड़ियों (1.500 जलाऊ चट्टा लकड़ी) को डिपो ओछापुरा परिवहन कराया जाकर अतिक्रमित वनभूमि को

③

//03//

अतिक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक मुक्त कराया जाकर वन भूमि को वनविभाग के अधिपत्य मे लिया गया। उपरोक्त **संयुक्त कार्यवाही का मौका पंचनामा बनाया गया, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।**

3. बीट मोरेका के वन कक्ष कमांक पी.एफ. 590 में कोल्हू का सहराना, टर्राकलां के आदिवासी समुदाय के लोगों द्वारा सामूहिक रूप से वनक्षेत्र में अवैध रूप से 07 अस्थाई झोपडीयॉ बनाई जाकर झोंपड़ियों में 42 नग लकड़ियों को लगाकर अतिक्रमण करने का प्रयास किये जाने के फलस्वरूप वन अपराध प्रकरण क्रमांक 416/06 दिनांक 01.03.2024 सौरव पुत्र हरीराम आदिवासी एवं अन्य साथी 06 के विरूद्व कायम किया गया था। दिनांक 08.03.2024 को उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, श्योपुर के नेतृत्व में वनमण्डल श्योपुर के अधीनस्थ वन परिक्षेत्रो के समस्त स्टाफ एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट तथा पुलिस बल के सहयोग से उक्त स्थल पर जाकर अस्थाई 07 झोंपड़ियों को जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर की सहायता से जमींदोज किया जाकर झोंपड़ियों में लगी 42 नग लकड़ियों (0.750 जलाऊ चट्टा) को डिपो ओछापुरा परिवहन कराया जाकर अतिक्रमित वनभूमि को अतिक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक मुक्त कराया जाकर अतिक्रमण बेदखली की कार्यवाही सम्पन्न की गई।

परिक्षेत्र सहायक ओछापुरा के द्वारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 08.03.2024 से प्रतिवेदित किया कि वनअपराध प्रकरण क्रमांक 416/06 दिनांक 01.03.2024 में अतिक्रमणकारियों के द्वारा स्थल पर बनाई गई अस्थाई 07 झोंपड़ियों को जे0सी0बी0 एवं ट्रेक्टर की सहायता से जमींदोज किया जाकर झोंपड़ियों में लगी 42 नग लकड़ियों (0.750 जलाऊ चट्टा लकड़ी) को डिपो ओछापुरा परिवहन कराया जाकर अतिक्रमित वनभूमि को अतिक्रमणकारियों से सफलतापूर्वक मुक्त कराया जाकर वन भूमि को वनविभाग के अधिपत्य मे लिया गया। उपरोक्त **संयुक्त कार्यवाही का मौका पंचनामा बनाया गया, जो प्रतिवेदन के साथ संलग्न है।**

इस प्रकार बीट मोरेका के वनकक्ष क्रमांक पी.एफ. 591 एवं 590 मे वनभूमि पर कुल 70 अस्थाई झोंपड़ियों को हटाकर अतिक्रमित वनभूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराया गया है।

4. बीट मोरेका के कक्ष क्रमांक पी.एफ. 591 में अतिक्रमण स्थल से लोटते समय दिनांक 08.03.2024 को बीट मोरेका के वन कक्ष कमांक पी.एफ. 591 में जंगल की ओर से आते हुए मोटर साईकिलें, साईकिलें एवं बैलगाड़ियों पर वनोपज का अवैध रूप से परिवहन करते हुए जप्त की जाकर निम्नानुसार वन अपराध प्रकरण कायम किये गये है। वन स्टाफ को देखकर अपराधी मौके से भाग जाने के कारण समस्त प्रकरण अज्ञात में कायम किये है। जप्त शुदा मोटरसाईकिले, साईकिलें एवं बैलगाड़ी तथा वनोपज को सबरेंज कैम्पस ओछापुरा में लाकर रखा गया है। प्रकरणों की विवेचना परिक्षेत्र सहायक ओछापुरा के द्वारा की जा रही है।

क्र.	पी.ओ.आर.नं. एवं दिनांक	बीट का नाम एवं कक्ष कमांक	जप्त वनोपज एवं वाहन का विवरण		
			वाहन का प्रकार	पंजीयन कमांक	जप्त वनोपज
1	416/08 दि. 08.03.2024	मोरेका पी. 591	एक पुरानी मोटर साईकिल (हीरो एच0एफ0 डीलक्स)	MP-31 MF 1726	0.100 जलाऊ चट्टा लकड़ी

(4)

//04//

2	416/07 दि. 08.03.2024	मोरेका पी. 591	एक पुरानी मोटर साईकिल (हीरो एच0एफ0 डीलक्स)	MP 31 MG 5956	0.100 जलाऊ चट्टा लकड़ी
3	416/10 दि. 08.03.2024	मोरेका पी. 591	दो पुरानी साईकिलें	-	(25+25) 50 कि0ग्रा0 जलाऊ लकड़ी
4	416/09 दि. 08.03.2024	मोरेका पी. 591	02 बैलगाड़ी	-	(0.250+0.250) 0.500 जलाऊ चट्टा लकड़ी

अतः दिनांक 08.03.2024 को उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, श्योपुर के नेतृत्व में राजस्व, वन एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई संयुक्त कार्यवाही का विस्तृत प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :– मौका पंचनामा 03 की मूलप्रति।

(रामजीलाल आदिवासी)
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र खाड़ी (श्यामपुर)
दिनांक ....

क्रमांक/

प्रतिलिपि :–

उपवनमण्डलाधिकारी महोदय, उपवनमण्डल श्योपुर की सेवा में सूचनार्थ संम्प्रेषित।

संलग्न :– मौका पंचनामा 03 की छायाप्रति।

-sd-
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र खाड़ी (श्यामपुर)

आवक क्र0 1797 दि0 11/3/24
वन मण्डल श्योपुर (म0प्र0)

<u>पंचनामा</u> दिनांक- 08/03/2024 ~~समय~~ 05 -1:40pm

(8)

हम पंचान नीचे हस्ताक्षर कर्ता सही-सही यह पंचनामा लिख देते हैं कि आज दिनांक 08/03/2024 को श्रीमान उप वन मण्डलाधिकारी महो.- श्योपुर, विजयपुर, कराहल, श्रीमान ~~[illegible]~~ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वीरपुर, परिक्षेत्र अधिकारी रवाड़ी के नेतृत्व में पुलिस बल थाना ओछापुरा, रघुनाथपुर; टेरर वनमण्डल के अधीन समस्त परिक्षेत्र अधिकारी एवं वन अमले के साथ रवाड़ बीट मोरिका के वन कक्ष क्रमांक PF 590 में घटित वन अपराध प्रकरण क्रमांक 179/18 दिनांक 05/09/2023 में आरोपियों द्वारा निर्मित अस्थाई झोपड़ियां संख्या-14 को, श्रीमान वन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर द्वारा जारी धारा 80 (अ) के तहत बेदखली की सूचना पत्र क्रमांक/संरक्षण/771 दिनांक 19/09/2023 एवं बेदखली आदेश क्रमांक 1980 दिनांक 21/11/2023 से सूचना दी गई परन्तु अपराधियों द्वारा स्वतः वन भूमि को बेदखल नहीं किया गया। समय अवधि समाप्त होने के उपरान्त उक्त बेदखली कार्यवाही की गई जिसमें मौके पर बनी अस्थाई झोपड़ी संख्या-14 को मौके से नष्ट कर झोपड़ियों में लगी जलाऊ निर्मित लकड़ी लगभग 1.5 घन मी. को जप्त कर बेदखली कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से की गई। मौके पर की गई बेदखली कार्यवाही का मौका पंचनामा बनाया जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया
Dinesh [illegible]
08/03/2024
[illegible]

R.O. Khadi
08.03.2024

08/03/24
SDO(F) Sheopur

8/03/2024

8/3/24
[illegible] प्रभारी [illegible]

प. का.
ओछापुरा
08.03.2024

पटवारी
[illegible] सिंह सिकरवार
[illegible]
तहसील श्योपुर

08/03/24
R.O. Vijaypur West

08/3/24
SDO, Vijaypur

08/03/24 SI Jai Raghunath
SHO- Ochhapura

प. स. [illegible]

वन [illegible] प्रभारी [illegible]

[illegible]
[illegible]

पंचनामा 44 दिनांक- 08/03/2024 समय- 12:15 pm

(2)

हम पंचान नीचे हस्ताक्षर कर्ता सही-सही तसदीक कर यह पंचनामा लिखा देते है कि आज दिनांक 08/03/2024 को श्रीमान वन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर के पत्र क्र. 1500 दिनांक 28/02/2024 के पालन मे श्रीमान उप वन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर, विजयपुर, कराहल, श्रीमान ~~नायब~~ कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वीरपुर एवं पुलिस बल थाना ओछापुरा, रघुनाथपुर एवं वन मण्डल के अधीन समस्त परिक्षेत्राधिकारी तथा वनरक्षक को साथ रखकर श्रीमान उप वन मण्डलाधिकारी महो. श्योपुर के नेतृत्व मे बीट मेरिका के वन कक्ष क्रमांक PF 591 में दर्शित वन अपराध प्रकरण क्रमांक 258/24 दिनांक 11/07/2023 से अपराधियो द्वारा निर्मित अस्थाई झोपड़ियो को नष्ट कर वन भूमि से बेदखल किया गया जिससे प्राप्त जलाऊ मिश्रित लकड़ी लगभग - 03 घनमीटर को जप्त वन रक्षक द्वारा अपने अधिपत्य मे लिया गया। बेदखली कार्यवाही शांतिपूर्ण हुई। मौके पर की गई बेदखली कार्यवाही का मौका पंचनामा बनाया जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लिखा गया

Dinesh kumar
08/03/2024
डिप्टी रेंजर

R.O. Khadi
08/3/2024

8/3/24
चौकी प्रभारी - रघुनाथपुर

8/3/2024
R.O. Birpur

पु० स०
ओछापुर
08/03/2024

08/03/24
R.O. Vijaypur

पटवारी
विक्रम सिंह सिकरवार
प. ह. नं. ......
तहसील वीरपुर

08/03/24
SDO(F) Sheopur

08/03/24
SDO, Vijaypur

SI Jai Raghuwanshi
SHO - Ochhapura
08/03/24

व. र. वनपाल वनचौकी
8/3/24

रामदयाल
प. नि. ढेरा
8-3-2024

वनचौकी प्रभारी

07 दिनांक - 8/03/2024
समय - 1:40 PM

पंचनामा

हम पंचान नीचे हस्ताक्षरकर्ता सही - सही पंचनामा लिख देते है कि आज दिनांक 08/03/2024 को श्रीमान उपवनमण्डलाधिकारी महोदय श्योपुर। विजयपुर। कराहल, श्रीमान कार्यपालिक मजिस्ट्रेट वीरपुर। परिक्षेत्र अधिकारी खाडी के नेतृत्व मे पुलिस बल थाना आवदापुरा। रघुनाथपुर। टोडर बलेसा० वनमण्डल के अधीन समस्त परिक्षेत्र अधिकारी एवं वनस्टाफ को साथ मे रखकर बीट मोरेका के वन कक्ष क्रमांक Pf 590 मे घटित वन अपराध प्रकरण क्रमांक 416/06 दि० 01.03.2024 मे बनाई गई अवैध अस्थाई झोपड़ियाँ नग - 07 को संयुक्त बेदखली कार्यवाही मे हटाया गया एवं झोपड़ियां नग - 07 मे लगी लकड़ी नग - 52 (अलाऊ चट्टा - 0.75 घन मीटर लगभग) को जप्त किया गया मौके पर संयुक्त बेदखली कार्यवाही शांतिपूर्वक ढंग से की गई। मौके पर बेदखली कार्यवाही का पंचनामा बनाया गया जो सही है वक्त जरूरत काम आवे।

पंचनामा मेरे द्वारा लेख किया गया

R.O. Khadi
08.03.2024

8/03/2024
प०स० आवदापुरा

Dinesh ...
08/03/2024

राजेन्द्रसिंह जादौन
कार्यवाहक वनपाल

...
व० र०

...
न० र०

रमेश...

(08)

दिनांक 08.03.2024 को वन, राजस्व एवं पुलिस बल के द्वारा संयुक्त रूप से अतिकमण बेदखली कार्यवाही का पत्रक
वन परिक्षेत्राधिकारी खाड़ी (श्यामपुर)

क्र.	पी.ओ.आर.न. व दिनांक	बीट का नाम व कमांक	अतिकमित वन भूमि पर बनाई गयी झोपडियों की संख्या	अतिकमणकों की संख्या	बनाई गई झोपडियॉं का अतिकमित रकवा	बागड़ द्वारा घेरा गया अतिकमित रकवा	कुल अतिकमित रकवा	बेदखल किया गया कुल रकवा
1	258/24 दिनांक 11.07.2023	मोरेका पी.591	49	49	03 हैक्ट.	25 हैक्ट.	28 हैक्ट.	28 हैक्ट.
2	179/18 दिनांक 05.09.2023	मोरेका पी. 590	14	14	03 हैक्ट.	—	03 हैक्ट.	03 हैक्ट.
3	416/06 दिनांक 01.03.2024	मोरेका पी. 590	7	7	0.280 हैक्ट.	—	0.280 हैक्ट.	0.280 हैक्ट.
कुल योग :—			70	70	6.280 हैक्ट.	25 हैक्ट.	31.280 हैक्ट.	31.280 हैक्ट.

(रुपेशीलाल आदिवासी)
वन परिक्षेत्राधिकारी
वन परिक्षेत्र खाड़ी (श्यामपुर)

Time: 03-08-2024 13:21
Note: वन अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही रेंज खाड़ी
Powered by NoteCam

Latitude: 25°58′40″
Longitude: 76°55′19″
Elevation: 227.04±5 m
Accuracy: 7.8 m
Time: 03-08-2024 13:32
Note: वन अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही रेंज खाड़ी
Powered by NoteCam

Latitude: 25°58′3″
Longitude: 76°56′0″
Altitude: 187.65±8 m
Accuracy: 7.3 m
Time: 03-08-2024 11:28
Note: वन अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही रेंज खाड़ी
Powered by NoteCam

Latitude: 25°57′47″
Longitude: 76°55′42″
Elevation: 234.5±8 m
Accuracy: 6.1 m
Time: 04-03-2024 13:03
Note: बीट मोरेक कक्ष 587 आरएफ अतिक्रमित वन क्षेत्र
Powered by NoteCam

Latitude: 25°58′3″
Longitude: 76°55′59″
Altitude: 186.45±8 m
Accuracy: 6.9 m
Time: 03-08-2024 12:51
Note: वन अतिक्रमण बेदखली कार्यवाही रेंज खाड़ी
Powered by NoteCam

Latitude: 25°56′40″
Longitude: 76°56′20″
Elevation: 244.79±6 m
Accuracy: 5.3 m
Time: 04-03-2024 11:34
Note: बीट मोरेक कक्ष 588 आरएफ अतिक्रमित वन क्षेत्र
Powered by NoteCam

Latitude: 25°56′41″
Longitude: 76°56′22″
Elevation: 252.71±8 m
Accuracy: 5.7 m
Time: 04-03-2024 11:15
Note: बीट मोरेका अतिक्रमित वन क्षेत्र
Powered by NoteCam

Latitude: 25°56′42″
Longitude: 76°56′22″
Elevation: 250.76±7 m
Accuracy: 7.9 m
Time: 04-03-2024 11:51
Note: बीट मोरेक कक्ष 588 आरएफ अतिक्रमित वन क्षेत्र
Powered by NoteCam

Latitude: 25°57′43″
Longitude: 76°55′42″
Elevation: 233.2±7 m
Accuracy: 6.4 m
Time: 04-03-2024 12:55
Note: बीट मोरेक कक्ष 587 आरएफ अतिक्रमित वन क्षेत्र
Powered by NoteCam

Latitude: 25°56′42″
Longitude: 76°56′22″
Elevation: 250.22±5 m
Accuracy: 7.4 m
Time: 04-03-2024 11:15
Note: बीट मोरेका अतिक्रमित वन क्षेत्र
Powered by NoteCam